

कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी, राजगीर

अल्पकालिन विकास मित्रों के रिक्त पदों पर नियोजन

- संबंधित प्रखण्ड/नगर निकाय में आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु समय-सीमा — 12.02.26 से 27.02.26
- मेधासूची तैयार करने एवं प्रकाशन करने की तिथि — 02.03.2026
- मेधासूची पर आपत्ति प्राप्त करने एवं निराकरण की तिथि — 05.03.2026 से 09.03.2026
- चयन सूची के प्रकाशन की तिथि — 12.03.2026
- नियोजन पत्र वितरण/शपथ ग्रहण उन्मुखीकरण कार्यक्रम — 16.03.2026

विकास मित्र का चयन :-

महादलित समुदाय से ग्रामीण क्षेत्र में रिक्त पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में रिक्त वार्ड समूह (कलस्टर) पर एक विकास मित्र का चयन किया जायेगा। विकास मित्र का नियोजन अनुबंध के आधार पर किया जायेगा। पंचायत/वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी) में वर्ष 2010 के सर्वेक्षण के आधार पर जिस महादलित जाति के जनसंख्या की बहुलता होगी, उसी जाति से विकास मित्र का चयन किया जायेगा।

1. **चयन हेतु अर्हता :-**(1) आवेदक पूर्व से निर्धारित महादलित परिवार जाति बहुलता वाले से होंगे। (2) जिस पंचायत/वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी) से विकास मित्र का चयन किया जाना है, वहीं के निवासी से आवेदन पत्र प्राप्त किया जायेगा। (3) आवेदक का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी। (4) विकास मित्र के चयन में शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष नहीं मिलने की स्थिति में निम्न प्रकार से चयन किया जा सकता है :- (1) नन्-मैट्रिक (2) नौवीं पास (3) आठवीं पास (4) सातवीं पास (5) छठवां पास (6) पांचवीं पास। सर्वप्रथम नन्-मैट्रिक उसके पश्चात् नवमी पास उसी प्रकार से नीचे के क्रम से चयन किया जायेगा। महिलाओं के शैक्षणिक योग्यता नहीं मिलने पर साक्षर होने पर भी उन्हें चयनित किया जाएगा। बशर्तें वे अक्षर योजना एवं स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ी हो तथा वे सामाजिक कार्यों में प्रगतिशील सक्रिय महिला हो। उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के आवेदक उपलब्ध रहने पर किसी भी स्थिति में निम्न-शैक्षणिक योग्यता वाले का चयन नहीं किया जायेगा। जब एक ही शैक्षणिक योग्यता के दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे - वैसी स्थिति में जिस आवेदक की उम्र सबसे कम हो (जन्म तिथि के अनुसार) का चयन किया जायेगा। अगर दो या दो से अधिक आवेदकों की जन्म तिथि एवं शैक्षणिक योग्यता समान हो वैसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी स्वविवेक से आवेदक का चयन करेंगे। विकास मित्र का चयन मार्गदर्शिका (पंचम चरण) के आधार पर किया जाएगा। (5) चयन में मैट्रिक या समकक्ष से उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थी के लिए अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा। (6) मैट्रिक या समकक्ष में सर्वाधिक प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। (7) मैट्रिक या समकक्ष में समान प्रतिशत रहने पर ज्यादा उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।

2. **आयु सीमा :-** आवेदक की उम्र दिनांक 27.02.2026 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित महिला पदों के लिए मैट्रिक अथवा समकक्ष उपलब्ध नहीं रहने पर साक्षर तक एक से अधिक अभ्यर्थी की स्थिति में कम उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।

3. **जाति बहुलता :-** वर्ष 2010 के सर्वेक्षण के आधार पर पंचायत/वार्ड समूह (शहरी) क्षेत्र में महादलित वर्ग में सम्मिलित जातियों में से किसी एक जाति की बहुलता का निर्धारण किया जा चुका है। जाति बहुलता का निर्धारण उस जाति से की गई है, जिस जाति की जनसंख्या पंचायत/वार्ड समूह (शहरी) में सबसे अधिक है। किसी भी परिस्थिति में विकास मित्र का चयन उसी रिक्त वाले पंचायत से ही किया जाएगा।

4. **नियोजन की अवधि:-**विकास मित्रों का नियोजन 60 वर्ष की आयु तक कार्य किए जाने हेतु अनुबंध के आधार पर किया जायेगा। आवश्यकतानुसार पुनः नियोजन किया जा सकता है।

5. **मानदेय :-**प्रत्येक विकास मित्र को सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय भुगतान होगा।

6. **सामान्य निर्देश :-**कार्य योजना के अनुसार सभी तथ्यों यथा विकास मित्रों के पदों की जिला द्वारा अनुमोदन इत्यादि की सूचना मिशन को समय-समय पर प्रेषित किया जाएगा।

♦ **आवेदन पत्र जमा करने का स्थान** —संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का कार्यालय/शहरी क्षेत्र के लिए कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद्, राजगीर का कार्यालय।

♦ **रिक्ति की स्थिति निम्नवत् है :-**

क्र०	प्रखण्ड/नगर निकाय का नाम	पंचायत/वार्ड का नाम	जाति की बहुलता	अभ्युक्ति
1	राजगीर	मेयार	मुसहर(सामान्य)	

♦ अधिक जानकारी के लिए अनुमंडल कार्यालय, राजगीर/जिला कल्याण पदाधिकारी, नालन्दा एवं बिहार महादलित विकास मिशन, पटना से संपर्क किया जा सकता है।

♦ बिहार महादलित विकास मिशन के हेल्प लाइन, पटना का संपर्क नं० - 18003456345 से सम्पर्क किया जा सकता है।

♦ आवेदन पत्र का प्रपत्र वेबसाइट (www.mahadalitmission.org) पर उपलब्ध है।

♦ रिक्ति से संबंधित जानकारी के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय में संपर्क करें।

♦ अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा विकास मित्रों का चयन किया जायेगा।